भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

No.E-OPT-11/42/2022-EO/12928 12-11-2024

To,

The Chairman/Secretary
Multistoried IT & Gems Comm. Premises Co So Ltd.
Multistoried building,
Opp. Indian Coffee House,
SEEPZ-SEZ, Andheri (East)
Mumbai-400096.

The Chairman/Secretary
SDF-VII SEEPZ Premises Co-operative Society Ltd
Plot No. F/1, Marol Industrial Area,
Kondvita, Marol,
SEEPZ-SEZ, Andheri(East)
Mumbai-400096.

The Chairman/Secretary
SEEPZ Block-I Premises Co-operative Society Ltd,
Society Office, Ground Floor,
SEEPZ++, Block-I
SEEPZ-SEZ, Andheri(East)
Mumbai-400096.

विषय: इकाइयों के अधिकृत परिचालन में हस्तक्षेप न करने के संबंध में।

Subject: Non-Interference in Authorized Operations of units-reg.

महोदय,

कार्यालय के संज्ञान में आया है कि भवनों के रखरखाव के लिए गठित समितियां नए उद्यमियों से पुरानी इकाइयों की बकाया राशि की मांग कर रही हैं, जिन्हें वित्तीय संस्थान/लिक्विडेटर/डीआरटी आदि द्वारा नीलामी के माध्यम से स्थान/गाला आवंटित किया गया है। समितियां उन्हें पुरानी बकाया राशि का भुगतान किए बिना परिचालन शुरू न

It has come to the notice of this office that Societies formed for the maintenance of the buildings are insisting on the outstanding amount of old units from new entrepreneurs who have been allotted space/gala through auction by

करने का निर्देश दे रही हैं।

Financial Institution/Liquidators/DRT etc. The Societies are directing them not to initiate operations without payment of old dues.

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि नई इकाई को उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से स्थान के आवंटन के आधार पर अनुमोदन समिति के अनुमोदन के बाद विकास आयुक्त द्वारा एलओए जारी किए जाते हैं।

In this connection, it is mentioned that the new unit are issued LOAs by Development Commissioner after approval of Approval Committee based on the allotment of space through above process.

इसके अलावा, एसईजेड नियम, 19(4) के अनुसार, इकाई को एलओए जारी होने के एक वर्ष के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। इकाई को समयबद्ध तरीके से एनएफई, रोजगार सृजन, निवेश प्राप्त करना होगा और प्रस्तावित अनुमानों में यदि कोई कमी होती है, तो अनुमोदन समिति द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है। परिचालन शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की हानि होगी और रोजगार का भी नुकसान होगा, जिससे एसईईपीजेड एसईजेड का समग्र विकास प्रभावित होगा और एसईजेड अधिनियम/नियमों का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

Further, as per SEZ Rules, 19(4), the unit shall commence operations within one year from the issuance of LOA. The unit is bound to achieve NFE, employment generation , investment in time bound manner and shortfall if any in proposed projections, may result in adverse remarks by Approval Committee. The delay in initiating the operations will result in loss of foreign exchange on account of exports and also loss of employment thus affecting the over all growth of SEEPZ SEZ and defeating the purpose of SEZ Act/Rules.

उपरोक्त के मद्देनजर, यह निर्देश दिया जाता है कि विकास आयुक्त द्वारा एलओए जारी की गई इकाई को विकास आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति, जिसमें कोई सोसायटी भी शामिल है, द्वारा अपने संचालन में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इन निर्देशों का किसी भी तरह का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।

In view of the above, it is hereby directed that unit who has been issued LOA by Development Commissioner, shall not be restricted by any person, including any Society, in undertaking of their operations without written approval of Development Commissioner. Any violation of these directions will be viewed seriously.

इसे विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Development

Commissioner, SEEPZ-SEZ.

भवदीय,

Signed by Prasad
Hanumantrao Varwantkar
Date: 12-11-2024 18:01:29

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)
संपदा अधिकारी
सीप्ज़ - सेज़

Copy to:-

1. President, SGJMA.
2. Chairman, SEEMA.
3. SEEPZ website.